कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 3107 /वाद सं0 सी–1523/एस–2/2026 दिनांक: 21/11/ ,2026

मै0 फैसियन यूनिक्स,
स्टूडियों टर्नर रोड़, देहरादून।

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय **SLP (C)** संख्या 8044–8045/2025 लोंगनाथन बनाम तमिलाडू राज्य एवं अन्य के अनुपालम में प्राधिकरण के वाद सख्या सी–1523/एस–2/2026 के सम्बन्ध में।

कृपया आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 10 गुणा 15 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जिसका कारण बताओं नोटिस उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जारी कर उक्त वाद योजित किया गया जिसमें दिनांक 19.10.2026 एवं 29.10.2026 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथियों पर आपके द्वारा व्यवसायिक निर्माण कार्य की कोई शमन हेतु अभिलेख एवं सन्तोषजनक जबाव प्रस्तुत नही किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का एक विकल्प ही शेष रह जाता है।

–आदेशः–

विपक्षी के उक्त चालान निर्माण की कोई स्वीकृति न दिखाने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सील आदेश पारित करते हुए दिनांक 23/11/26 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे, और न होने दें। क्योकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पति को क्षति पहुचाने के समान है जो कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

21/11/26

पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, o/c

प्रतिलिपिः– 1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष क्लैमन टाऊन को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205/विविध –जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

2–सम्बन्धित थानाध्यक्ष क्लैमन टाऊन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4–सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5–नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहायक अभि0/अव0 अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6–आई0टी0अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। o/c

16/11/26

16/11/26